आर0 के0 महाजन, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांकः SHSB/GA/1250/2014/.....429.....पटना, दिनांकः 19/01/16

सेवा में

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयःपरिवार नियोजन सेवाओं के लिए निजी संस्थानों/निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित (Accreditation) एवं प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करने हेतु राज्य स्तरीय विस्तृत नीति।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि राज्य में परिवार नियोजन सेवाओं के लिए निजी संस्थानों को प्रत्यायित एवं प्रतिपूर्ति हेतु राज्य स्तरीय विस्तृत नीति बनायी गयी है एवं इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु आदेशित किया जाता है।

इस नीति के अंतर्गत दो प्रकार से निजी संस्थान एवं निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित किया जा सकता है।

A. निजी चिकित्सक एवं टीम जो कि परिवार नियोजन सेवाएँ सरकारी संस्थानों में जाकर देना चाहते हों। इसके तहत् निम्नांकित प्रतिपूर्ति प्रस्तावित हैः

(Max. 30 cases/ day)	Tubectomy	Vasectomy
Acceptor	1400	2000
Motivator/ASHA	200	300
Clerks/documentation	20	20
Private Provider	**1380**	**680**
TOTAL	3000	3000

लाभार्थी के Pre Operative Examination, Operation, Post Operative Care की पूर्ण जबावदेही प्रत्यायित निजी संस्थान की होगी तथा लाभार्थी के Mobilization, Camp Management एवं क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

B. निजी चिकित्सक, सरकारी संस्थान में सरकारी टीम की सहायता से परिवार नियोजन सेवा प्रदान करना चाहते हों। इसके तहत् निम्नांकित प्रतिपूर्ति प्रस्तावित हैः

	Tubectomy	Vasectomy
Only Surgery	150	250
Local Anaesthesia/Anaesthetist	50	-
Total	200	250

लाभार्थी के Mobilization, Pre Operative Examination, Post Operative Care, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान तथा सर्जन के अलावे ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रकार के उपयुक्त व्यवस्था की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

जिला अपने स्तर से एक साथ सभी विकल्पों या कोई भी विकल्प चुन सकता है। इन दोनों विकल्पों में प्रत्यायित एवं इनके प्रतिपूर्ति का विस्तृत विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नीति में दिया गया है, साथ ही इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले प्रपत्रों को भी इस नीति के साथ दिया जा रहा है।

राज्य इस तथ्य से भी अवगत है कि हमें त्वरित रूप से निजी संस्थानों एवं सेवा प्रदाता चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाना होगा ताकि राज्य अपने परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा सके।

इस संदर्भ में यह भी आदेशित किया जाता है कि सभी जिले 28 फरवरी 2016 तक निजी संस्थानों एवं चिकित्सकों को प्रत्यायित करने के लिए एकल (One time) विशेष अभियान चलाऐंगे।

अभियान के गतिविधियों एवं समय सीमाः

- अपर मुख्य चिकित्सा प्रभारी कार्यालय में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम निकाले गये विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2016।
- आकलन टीम द्वारा निजी संस्थान का आकलन एवं निरीक्षणः दिनांक 10 फरवरी, 2016 तक
- आकलन टीम द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जमा करनाः दिनांकः 15 फरवरी 2016 तक)
- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन, DQAC की बैठक आयोजित करनाः दिनांकः 20 फरवरी 2016 तक
- DQAC का अनुमोदन एवं आवेदक को सूचना की तिथि 23 फरवरी 2016
- MOU पर हस्ताक्षर की तिथि दिनांकः 28 फरवरी 2016
- सभी सिविल सर्जन अपने जिले में 01 मार्च, 2016 से प्रत्यायित संस्थान नीति के तहत कार्य शुरू करना सुनिश्चित करेंगे।
- **संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी सुनिश्चित करेंगे कि** Service Provider **को लाभार्थी के** date of successful discharge **को ही पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करेंगे** (RTGS **के माध्यम से)। इसके लिए अगर उपयुक्त मद में राशि का अभाव हो तो** PHC **के किसी भी अन्य मद से तत्काल भुगतान करेंगे एवं मद में आवंटन आते ही पहले किये गये** diversion **को** adjust करेंगे।
- **निजी संस्थान किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवा प्रदाता (सर्जन, मूर्छक,** OT **सहायक, ए0एन0एम0/स्टॉफ नर्स इत्यादि) की सेवा नहीं लेंगे।**
- **निजी चिकित्सक की सेवा तभी ली जा सकेगी, जब वे किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हों (नियमित या संविदा)**

नोटः **निजी चिकित्सक एवं टीम जो कि परिवार नियोजन सेवाएँ प्राईवेट/निजी संस्थान में देना चाहते हों, उनके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा इस संबंध में निर्गत पूर्व के दिशा–निर्देश ही मान्य होंगे एवं उसके तहत् ही नियमानुसार अपनी सेवा प्रदान करेंगे।**

विश्वासभाजन,

18/1/16

(आर० के० महाजन)

अभियान के गतिविधियों एवं समय सीमाः

- अपर मुख्य चिकित्सा प्रभारी कार्यालय में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम निकाले गये विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2016।
- आकलन टीम द्वारा निजी संस्थान का आकलन एवं निरीक्षणः दिनांक 10 फरवरी, 2016 तक
- आकलन टीम द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जमा करनाः दिनांकः 15 फरवरी 2016 तक)
- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन, DQAC की बैठक आयोजित करनाः दिनांकः 20 फरवरी 2016 तक
- DQAC का अनुमोदन एवं आवेदक को सूचना की तिथि 23 फरवरी 2016
- MOU पर हस्ताक्षर की तिथि दिनांकः 28 फरवरी 2016
- सभी सिविल सर्जन अपने जिले में 01 मार्च, 2016 से प्रत्यायित संस्थान नीति के तहत कार्य शुरू करना सुनिश्चित करेंगे।
- **संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी सुनिश्चित करेंगे कि** Service Provider **को लाभार्थी के** date of successful discharge **को ही पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करेंगे** (RTGS **के माध्यम से)। इसके लिए अगर उपयुक्त मद में राशि का अभाव हो तो** PHC **के किसी भी अन्य मद से तत्काल भुगतान करेंगे एवं मद में आवंटन आते ही पहले किये गये** diversion **को** adjust करेंगे।
- **निजी संस्थान किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवा प्रदाता (सर्जन, मूर्छक,** OT **सहायक, ए0एन0एम0/स्टॉफ नर्स इत्यादि) की सेवा नहीं लेंगे।**
- **निजी चिकित्सक की सेवा तभी ली जा सकेगी, जब वे किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हों (नियमित या संविदा)**

नोटः **निजी चिकित्सक एवं टीम जो कि परिवार नियोजन सेवाएँ प्राईवेट/निजी संस्थान में देना चाहते हों, उनके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा इस संबंध में निर्गत पूर्व के दिशा–निर्देश ही मान्य होंगे एवं उसके तहत् ही नियमानुसार अपनी सेवा प्रदान करेंगे।**

विश्वासभाजन
ह0/–

(आर० के० महाजन)

ज्ञापांकः 429 पटना, दिनांकः 19/01/16

प्रतिलिपिः–

1. डी0 एन0 साहू, अवर सचिव, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी परिवार कल्याण कोषांग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिलापदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, परिवार कल्याण को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. निदेशक, RMNCH+A, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/16
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

अभियान के गतिविधियों एवं समय सीमाः

- अपर मुख्य चिकित्सा प्रभारी कार्यालय में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम निकाले गये विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2016।
- आकलन टीम द्वारा निजी संस्थान का आकलन एवं निरीक्षणः दिनांक 10 फरवरी, 2016 तक
- आकलन टीम द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जमा करनाः दिनांकः 15 फरवरी 2016 तक)
- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन, DQAC की बैठक आयोजित करनाः दिनांकः 20 फरवरी 2016 तक
- DQAC का अनुमोदन एवं आवेदक को सूचना की तिथि 23 फरवरी 2016
- MOU पर हस्ताक्षर की तिथि दिनांकः 28 फरवरी 2016
- सभी सिविल सर्जन अपने जिले में 01 मार्च, 2016 से प्रत्यायित संस्थान नीति के तहत कार्य शुरू करना सुनिश्चित करेंगे।
- **संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी सुनिश्चित करेंगे कि** Service Provider **को लाभार्थी के** date of successful discharge **को ही पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करेंगे** (RTGS **के माध्यम से)। इसके लिए अगर उपयुक्त मद में राशि का अभाव हो तो** PHC **के किसी भी अन्य मद से तत्काल भुगतान करेंगे एवं मद में आवंटन आते ही पहले किये गये** diversion **को** adjust करेंगे।
- **निजी संस्थान किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवा प्रदाता (सर्जन, मूर्छक,** OT **सहायक, ए0एन0एम0/स्टॉफ नर्स इत्यादि) की सेवा नहीं लेंगे।**
- **निजी चिकित्सक की सेवा तभी ली जा सकेगी, जब वे किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हों (नियमित या संविदा)**

नोटः **निजी चिकित्सक एवं टीम जो कि परिवार नियोजन सेवाएँ प्राईवेट/निजी संस्थान में देना चाहते हों, उनके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा इस संबंध में निर्गत पूर्व के दिशा–निर्देश ही मान्य होंगे एवं उसके तहत् ही नियमानुसार अपनी सेवा प्रदान करेंगे।**

विश्वासभाजन

18/1/16

(आर० के० महाजन)

ज्ञापांकः 429 पटना, दिनांकः 19/01/16

प्रतिलिपिः–

1. डी0 एन0 साहू, अवर सचिव, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी परिवार कल्याण कोषांग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिलापदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, परिवार कल्याण को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. निदेशक, RMNCH+A, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/16

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

–सह–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी